https://farid.ps/articles/gaza_tribunal/hi.html

गाजा और फिलिस्तीन में इजरायल के अपराधों के लिए एक ट्रिब्यूनल

जब गाजा की घेराबंदी अंततः टूट जाएगी और पत्रकारों, संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं और फोरेंसिक टीमों की पहली लहर को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, तो दुनिया को विनाश और मानवीय नुकसान के उस पैमाने का सामना करना पड़ेगा जो आधुनिक युद्ध में अभूतपूर्व है। अभी भी, सीमित पहुंच और विवादास्पद आंकड़ों के साथ, विनाश का खाका चौंका देने वाला है। लेकिन वास्तविक हिसाब-किताब तब तक नहीं होगा जब तक गाजा खुल न जाए।

अभूतपूर्व अग्निशक्ति का संकेंद्रण

लगभग **365 वर्ग किमी** के क्षेत्र में—जो शायद ही डेट्रॉयट के आकार का हो और हिरोशिमा का लगभग एक-तिहाई—गाजा ने प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे तीव्र बमबारी में से एक को सहन किया है, जो इतिहास में दर्ज है। स्वतंत्र विश्लेषणों से पता चलता है कि इजरायल ने अक्टूबर 2023 से **100,000 टन से अधिक विस्फोटक** गिराए हैं। संदर्भ के लिए: हिरोशिमा, जो एक एकल परमाणु बम से नष्ट हुआ, ने **15,000 टन टीएनटी** के बराबर ऊर्जा को अवशोषित किया। इस प्रकार, गाजा को **छह हिरोशिमा** की विनाशकारी शक्ति का सामना करना पड़ा है, जो एक ऐसी पट्टी में संकुचित है जो पहले से ही पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।

द्वितीय विश्व युद्ध की तुलनाएं इसकी चरमता को रेखांकित करती हैं: ड्रेसडेन (3,900 टन), हैम्बर्ग (9,000 टन), और लंदन पर ब्लिट्ज (18,000 टन)—इन सभी को मिलाकर भी यह उससे कम है जो गाजा ने सहा है। हालांकि, द्वितीय विश्व युद्ध के विपरीत, जहां औद्योगिक और सैन्य लक्ष्य महत्वपूर्ण थे, गाजा की बमबारी ने मुख्य रूप से **आवासीय बुनियादी ढांचे** को नष्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र अब अनुमान लगाता है कि लगभग **80 प्रतिशत सभी संरचनाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट** हो चुकी हैं, जिनमें अस्पताल, स्कूल और जल प्रणालियां शामिल हैं। कोई भी आधुनिक शहरी वातावरण इतनी पूर्णता से नष्ट नहीं हुआ है।

घेराबंदी के तहत मृतकों की गिनती वास्तविकता को कम क्यों दिखाती है

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक मृत्यु आंकड़े—जो अब **62,000** से अधिक हो गए हैं—केवल उन शवों को दर्शाते हैं जो बरामद और पंजीकृत किए गए हैं, अक्सर ढहते हुए अस्पतालों के माध्यम से। इनमें वे शामिल नहीं हैं जिनकी गिनती नहीं हुई: जो अभी भी मलबे के नीचे फंसे हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों में मरे, और जो भुखमरी या अनुपचारित बीमारियों से मरे।

स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययनों से एक उच्चतर वास्तविकता का संकेत मिलता है। **द लैंसेट** (2025) ने कैप्चर-रिकैप्चर मॉडल का उपयोग करके दिखाया कि 2024 के मध्य तक मौतों को लगभग **41 प्रतिशत** कम करके आंका गया था। **नेचर** की गाजा मृत्यु दर सर्वेक्षण ने जनवरी 2025 तक **75,000 से अधिक हिंसक मौतों** और भुखमरी और देखभाल की कमी से **8,500 गैर-हिंसक मौतों** का अनुमान लगाया। ये एक साथ मिलकर एक वास्तविक संख्या का सुझाव देते हैं जो पहले से ही **80,000–90,000 जिंदगियों** के करीब पहुंच रही है।

भुखमरी से होने वाली मौतें विशेष रूप से भयावह हैं: अगस्त 2025 के अंत तक, संयुक्त राष्ट्र समर्थित भुखमरी निगरानीकर्ताओं ने उत्तरी गाजा में अकाल की पुष्टि की, जिसमें कम से कम **300 भुखमरी से मौतें** हुईं, जिनमें **117 बच्चे** शामिल हैं। इन आंकड़ों को, बमों के टन भार की तरह, न्यूनतम के रूप में समझा जाना चाहिए। पूर्ण हिसाब-किताब तब तक सामने नहीं आएगा जब तक कि व्यवस्थित फोरेंसिक और महामारी विज्ञान जांच संभव न हो।

जांचकर्ताओं का क्या इंतजार है

जब सीमाएं अंततः खुल जाएंगी, तो अमूर्त ठोस हो जाएगा। पत्रकार न केवल खंडहरों को दस्तावेज करेंगे, बल्कि जीवित बचे लोगों के दैनिक संघर्ष को भी। संयुक्त राष्ट्र मिशन सामूहिक कब्रों, नष्ट हुए मोहल्लों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का मानचित्रण शुरू करेंगे। फोरेंसिक टीमें—साइट दर साइट काम करते हुए—शवों को निकालेंगी, मृत्यु के कारणों का निर्धारण करेंगी और डीएनए नमूनों, दंत रिकॉर्ड और आइसोटोप परीक्षणों के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान करेंगी। महामारी विज्ञानी मृत्यु दर सर्वेक्षण संकलित करेंगे ताकि अकाल, सेप्सिस, अनुपचारित घावों और बीमारी के प्रकोपों से होने वाली अप्रत्यक्ष मौतों का पता लगाया जा सके।

यह प्रक्रिया सावधानीपूर्वक होगी। प्रत्येक बम क्रेटर को लॉग किया जाएगा, टुकड़ों को सूचीबद्ध किया जाएगा और ज्ञात हथियार प्रणालियों से मिलान किया जाएगा। प्रत्येक अस्पताल के खंडहर को हमले के रिकॉर्ड और जीपीएस निर्देशांकों के खिलाफ मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक निकाली गई कब्र को फोटो खींचा जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा और गवाही से जोड़ा जाएगा। जैसे कि स्रेब्रेनिका या रवांडा में, परिणाम सबूतों के पहाड़ होंगे—दृश्य, फोरेंसिक, गवाही—जो एक साथ एक निर्विवाद रिकॉर्ड बनाते हैं।

विनाश के पैमाने को देखते हुए—हजारों साइटें, 100,000 से अधिक नष्ट संरचनाएं—यह महीनों का नहीं, बल्कि **वर्षों** का काम होगा। यह एक व्यापक रिपोर्ट में समाप्त होगा जो नुकसान को मापता है और जिम्मेदारी निर्धारित करता है।

फिलिस्तीन ट्रिब्यूनल की ओर

हिसाब-किताब गाजा तक रुक नहीं सकता। जुलाई 2024 में, **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय** ने सलाह दी कि इजरायल का कब्जा किए गए फिलिस्तीनी क्षेत्रों में निपटान उद्यम **अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध** है और यह राज्यों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी डालता है। यह राय, गाजा की पुष्टि की गई अकाल और विनाश के साथ मिलकर, एक व्यापक जवाबदेही प्रक्रिया के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करती है।

फिलिस्तीन ट्रिब्यूनल को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** के तत्वावधान में स्थापित किया जा सकता है, जिसे **1948 से आगे** के अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें **1948 से पहले की मंडेट युग की घटनाओं** पर विचार करने की विवेकाधीन शक्ति है जहां एक स्पष्ट संबंध मौजूद हो। यह ट्रिब्यूनल न केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाएगा, बल्कि सामूहिक विस्थापन, नरसंहार, निपटान विस्तार, व्यवस्थित सैन्य कब्जे और extraterritorial संचालन का एक निश्चित ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाएगा।

स्थापना और एकीकरण

महासभा प्रस्ताव

महासभा अपने **शांति के लिए एकजुट** प्रक्रिया के तहत एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, जो ट्रिब्यूनल की स्थापना करे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से **फिलिस्तीन राज्य** के साथ एक समझौता करने का अनुरोध करे। नजीरें मौजूद हैं: **कंबोडिया में असाधारण कक्ष** और **सीरिया के लिए IIIM** महासभा की कार्रवाई के माध्यम से स्थापित किए गए थे जब सुरक्षा परिषद की राजनीति ने जवाबदेही को अवरुद्ध किया था।

जांच शाखा

प्रस्ताव तत्काल एक **स्वतंत्र जांच तंत्र** स्थापित करेगा, जिसे साक्ष्य संरक्षण और मामले की फाइलें तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा—न्याय में देरी को रोकने के लिए जबकि ट्रिब्यूनल की स्थापना हो रही है।

ICJ और ICC के साथ एकीकरण

- **ICJ:** दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर **नरसंहार मामला** ICJ के पास रहना चाहिए, जो **राज्य जिम्मेदारी** पर निर्णय लेता है। यदि न्यायालय मुआवजा देता है, तो महासभा इन मुआवजों का **एक हिस्सा ट्रिब्यूनल द्वारा प्रशासित पीड़ित निधि** में प्रवाहित करने की अनुमति दे सकती है, स्वैच्छिक योगदान के साथ।
- **ICC:** ट्रिब्यूनल **अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय** के साथ समन्वय करेगा, जो पहले से ही **नेतन्याहू और गैलेंट** के खिलाफ मामले आगे बढ़ा रहा है। ICC चल रहे नेतृत्व मामलों पर ध्यान केंद्रित रखेगा, जबकि ट्रिब्यूनल **ऐतिहासिक**

और संरचनात्मक अपराधों (नकबा, निपटान, साब्रा और शतीला, बार-बार गाजा युद्ध) को संबोधित करेगा।

संग्रह कार्य

ट्रिब्यूनल एक **केंद्रीय साक्ष्य भंडार** बनाए रखेगा, जो ICC और IIIM मानकों के साथ सामंजस्यपूर्ण होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि **अपराधों का रिकॉर्ड** भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे और सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रीय न्यायालयों के लिए सुलभ हो।

निष्कर्ष

जब तक गाजा नहीं खुलता, दुनिया ज्ञान और सबूत के बीच लिम्बो में रहती है। लेकिन जब अंततः पहुंच दी जाएगी, तो खुलासे इतने जबरदस्त हो सकते हैं कि वे न केवल गाजा के विनाश के साथ, बल्कि फिलिस्तीन में सदी लंबी अशुद्धता के इतिहास के साथ हिसाब-किताब को मजबूर करें।

जैसे नूर्नबर्ग ने द्वितीय विश्व युद्ध की अंतिम लड़ाइयों तक सीमित नहीं किया, बल्कि पूरे शासन की आपराधिकता को परिभाषित किया, वैसे ही एक **फिलिस्तीन ट्रिब्यूनल** उभर सकता है: **1948 के नकबा से 2025 के गाजा और उससे आगे** तक के मामलों को सुनने के लिए सशक्त।

ऐसा ट्रिब्यूनल न केवल जवाबदेही प्रदान करेगा, बल्कि ऐतिहासिक सत्य को भी परिभाषित करेगा: कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ पीढ़ियों में जो हुआ, वह इतिहास की दुर्घटना नहीं थी, बल्कि राष्ट्रों के कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधों का एक सातत्य था।

परिशिष्ट 1: फिलिस्तीन ट्रिब्यूनल का मसौदा क़ानून (विश्लेषणात्मक टिप्पणियों के साथ)

अनुच्छेद 1 - स्थापना

पाठ: फिलिस्तीन ट्रिब्यूनल ("ट्रिब्यूनल") को फिलिस्तीन और संबंधित extraterritorial स्थानों में किए गए गंभीर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, **15 मई 1948 से आगे**, **विवेकाधीन अधिकार** के साथ, न्यायिक प्राधिकरण के बाद, **1948 से पहले** ब्रिटिश मंडेट के भीतर अपराधों की जांच करने के लिए, जहां संघर्ष के साथ **स्पष्ट संबंध** और पर्याप्त स्वीकार्य साक्ष्य मौजूद हों। **टिप्पणी:** 1948 नकबा और कब्जे के युग के अपराधों की शुरुआत को स्थापित करता है; 1948 से पहले की विवेकाधीन क्षेत्राधिकार मंडेट युग के हत्याओं और नरसंहारों की जांच की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 2 - विषयगत क्षेत्राधिकार

पाठ: (क) युद्ध अपराध; (ख) मानवता के खिलाफ अपराध; (ग) नरसंहार; (घ) आतंकवाद, जैसा कि प्रासंगिक संधियों और फिलिस्तीनी कानून में परिभाषित है, जहां यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। **टिप्पणी:** इसमें शास्त्रीय अंतरराष्ट्रीय अपराध और नागरिकों/कूटनीतिक सुविधाओं के खिलाफ आतंकवाद दोनों शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शुरुआती और बाद के अपराध क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

अनुच्छेद 3 - कालिक और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार

पाठ: 15 मई 1948 से वर्तमान तक, 1948 से पहले विवेकाधीन अधिकार के साथ। क्षेत्रीय दायरा: गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम, और extraterritorial कार्य (उदाहरण के लिए, बेरूत, काहिरा, रोम, तेहरान, दमिश्क)। **टिप्पणी:** इसमें कब्जा और extraterritorial संचालन दोनों शामिल हैं।

अनुच्छेद 4 - व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार

पाठ: सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाले व्यक्तियों पर ध्यान: राजनीतिक नेता, सैन्य कमांडर, वरिष्ठ। **टिप्पणी:** निष्पक्षता सुनिश्चित करता है; सभी पक्षों पर लागू होता है।

अनुच्छेद 5 - रचना

पाठ: हाइब्रिड मॉडल: सुनवाई और अपील कक्ष, अंतरराष्ट्रीय और फिलिस्तीनी न्यायाधीश, स्वतंत्र अभियोजक, रजिस्ट्री। **टिप्पणी:** कंबोडिया और सिएरा लियोन जैसे नजीरों का अनुसरण करता है।

अनुच्छेद 6 - लागू कानून

पाठ: जेनेवा सम्मेलन, रोम संविधि, ICJ की सलाहकार राय, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, फिलिस्तीनी कानून जहां यह संगत हो। **टिप्पणी:** बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानून को स्थानीय वैधता के साथ एकीकृत करता है।

अनुच्छेद 7 - अभियुक्तों के अधिकार

पाठ: निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी, निर्दोषता की धारणा, कानूनी प्रतिनिधित्व, अपील का अधिकार। **टिप्पणी:** "विजेताओं के न्याय" के आरोपों को रोकता है।

अनुच्छेद 8 - पीड़ित और मुआवजा

पाठ: पीड़ित भाग ले सकते हैं और मुआवजा मांग सकते हैं। ICJ द्वारा दी गई मुआवजों, स्वैच्छिक योगदानों और दोषी व्यक्तियों की संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए एक पीड़ित निधि स्थापित करता है। **टिप्पणी:** राज्य स्तर के ICJ निर्णयों को व्यक्तिगत और सामुदायिक मुआवजों से सीधे जोड़ता है।

अनुच्छेद 9 - सहयोग और प्रवर्तन

पाठ: राज्य गिरफ्तारियों, स्थानांतरण और साक्ष्य प्रदान करने में सहयोग करेंगे। दंड संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित राज्यों में भुगते जाएंगे। **टिप्पणी:** हालांकि महासभा के प्रस्तावों में अध्याय VII प्रवर्तन का अभाव है, व्यापक वैधता और समझौते अनुपालन उत्पन्न करेंगे।

अनुच्छेद 10 - अवधि और रिपोर्टिंग

पाठ: ट्रिब्यूनल 15 वर्षों के नवीकरणीय जनादेश के साथ स्थापित किया गया है। महासभा को वार्षिक रिपोर्ट; संयुक्त राष्ट्र की हिरासत में अभिलेखीय रिकॉर्ड। **टिप्पणी:** जवाबदेही और ऐतिहासिक संरक्षण सुनिश्चित करता है।

परिशिष्ट 2: प्रारंभिक मामले की फाइलें (उदाहरणात्मक)

मंडेट युग

- 1924 - जैकब इजरायल डी हान की हत्या (यरुशलम)
- 1944 - लॉर्ड मोयने की हत्या (काहिरा)
- 1946 - किंग डेविड होटल बमबारी (यरुशलम)
- 1948 - देयर यासीन नरसंहार (यरुशलम)
- 1948 - संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ फोल्के बर्नाडोट की हत्या

प्रारंभिक राज्य निर्माण

- 1953 - किब्या नरसंहार
- 1956 - कफर कासिम नरसंहार

- 1968 - बेरूत हवाई अड्डे पर छापा
- 1973 - लिबियन अरब एयरलाइंस फ्लाइट 114 का नीचे गिराना
- 1982 - साब्रा और शतीला नरसंहार (सहभागिता)

कब्जा और गाजा युद्ध

- 2001 - गाजा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विनाश
- 2008–09 - ऑपरेशन "कास्ट लेड" (1,166–1,417 फिलिस्तीनी मारे गए, अधिकांश नागरिक)
- 2014 - "प्रोटेक्टिव एज" (2,125+ फिलिस्तीनी मारे गए, 1,600+ नागरिक)
- 2023–25 - गाजा युद्ध: बमबारी, अकाल, 78% संरचनाओं का विनाश, 62,122+ मौतें (MoH/संयुक्त राष्ट्र आधार रेखा)

Extraterritorial

- 2024 - ईरानी राजनयिक परिसर पर हमला (दमिश्क)
- 2024 - इस्माइल हनियेह की हत्या (तेहरान)
- 2025 - सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला

समकालीन नेतृत्व डोजियर

- **बेंजामिन नेतन्याहू (प्रधानमंत्री)** - गाजा युद्ध, घेराबंदी, भुखमरी नीति के लिए कमान जिम्मेदारी।
- **योआव गैलेंट (रक्षा मंत्री)** - घेराबंदी और बमबारी के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी।
- **बेजालेल स्मोटरिच (वित्त मंत्री)** - निपटान विस्तार, उकसाव, बसने वालों की हिंसा को सक्षम करना।
- **इतमर बेन ग्विर (राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री)** - बसने वालों को हथियार देना, भेदभावपूर्ण नीतियां, कैदियों का दुरुपयोग।

संदर्भ

- UNOSAT / OCHA क्षति आकलन, अगस्त 2025 (~78% संरचनाएं प्रभावित)।
- OCHA मानवीय स्थिति अपडेट #315, अगस्त 2025 (62,122 मौतें)।
- **द लैंसेट** (जनवरी 2025): 64,260 अनुमानित आघातजन्य मौतें; ~41% कम गणना।
- **नेचर** (जून 2025): गाजा मृत्यु दर सर्वेक्षण, 75,200 हिंसक + 8,540 गैर-हिंसक मौतें।
- IPC अकाल पुष्टिकरण, अगस्त 2025।
- ICJ सलाहकार राय, 19 जुलाई 2024: कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में निपटान की अवैधता।
- ICC अभियोजक की गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन (मई 2024) और वारंट (नवंबर 2024) नेतन्याहू, गैलेंट और हमास नेताओं के खिलाफ।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 71/248 (2016): सीरिया के लिए IIIM।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 57/228B (2003): ECCC (कंबोडिया)।